	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 05, मंगलवार, *शाके* 1941–नवम्बर 26, 2019	
	Agrahayana 05 Tuesday, Saka 1941–November 26, 2019	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 13, 2019

संख्याः 40/भू.अ./ज.सं./2002 पार्ट।।।/2811-2814: चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ टोंक ब्रांच की आर.डी. 0 से 18.15 किमी. तक के ग्राम ऊम के खसरा न0 906 व 902 की कुल 0.92 हैक्टयर भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित ईलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेंत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नाकिंत क्षेंत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण

टोंक ब्रांच की आर डी 0 से 18.15 किमी के मध्य नवीन भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु प्रस्ताव का ग्रामवार एबेस्ट्रक्ट

क्र० स०	खसरा नं	खाता नं	खातेदार का नाम	कुल रकबा है०	अवाप्त किए जाने वाला रकबा है०	किस्म भूमि	विशेष विवरण
1	906	191	रामकरण पुत्र मांगी लाल हि० 1/2 रामकरण	16.02	0.42	माल	उक्त भूमि की धारा पूर्व मे 4 व 6 हो चुकी थी परंतु उक्त भूमि का न्यायालय मे वाद दायर होने
2	902	191		5.12	0.50	दोयम	

			पिता मु० गोरू हि० 1/2 कोम मीणा सा० दे० खातेदार				के कारण मुआवजा अवार्ड जारी न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। अतः पुनः भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति जारी करवाने के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे है।
				21.24	0.92		

टोंक ब्रांच की आर डी 0 से 18.15 किमी के मध्य नवीन भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु प्रस्ताव की सूची

क्र० स०	ग्राम का नाम	भूमि का विवरण				
		सरकारी भूमि		निजी भूमि		
		कुल रकबा है0	अवाप्त की जाने वाली भूमि	कुल रकबा है0		अवाप्त की जाने वाली भूमि
				खसरा	रकबा	
1.	ऊम	-	-	906	16.02	0.42
		-	-	902	5.12	0.50
			कुल		21.14	0.92

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।